6/2/26

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। दावा खारिज का आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया जाय पत्रावली के पत्र सुधार के पश्चात कि फैसला पत्रावली [illegible] जिला [illegible] अभिलेखागार में शामिल हो।

सहायक कलेक्टर (फास्ट्रेक)
मुण्डावर
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अन्तर्गत धारा 212 RT Act 1955
प्रार्थना पत्र संख्या :– 193/25
अनुवान :– भागीरथ बनाम सुलतान
आदेश दिनांक :– 06.02.2026

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
193/2025	22.08.2025	06.02.2026

बउनवान

1. भागीरथ पुत्र सुलतान उर्फ सुखराम जाति अहीर निवासी माजरी खोला तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. सुलतान उर्फ सुखराम पुत्र श्री जयसिंह उर्फ जहार जाति अहीर निवासी माजरी खोला तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. अशोक
3. चेतराम पुत्रान श्री सुलतान उर्फ सुखराम जातियान अहीर निवासीयान माजरी खोला तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. श्रीमान सब रजिस्ट्रार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: अप्रार्थीगण

श्री नीरज कुमार जाट —: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री सतीश यादव —: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थी की और से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें मिन प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के प्रार्थना पत्र में मिन प्रार्थी ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि आराजी ख0 नं0 हाल 260/0.40 है0, 73/0.01 है0, 74/0.12 है0, 68/0.57 है0, वाके ग्राम पदमाडा कलां तहसील मुण्डावर व ख0 नं0 23/0.59 है0, 567/0.04 है0, 568/0.04 है0, 569/0.08 है0, 572/0.01 है0, 110/0.11 है0, 111/0.10 है0, 8/0.16 है0, 9/0.13 है0 तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो आराजी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

4. यह है कि उक्त आराजी मिन प्रार्थी की दादालायी पैत्रिक आराजी है। जो राजस्व रिकोर्ड में मिन प्रार्थी के पिता सुलतान उर्फ सुखराम के नाम दर्ज है जिसमें मिन प्रार्थी के पिता सुलतान उर्फ सुखराम को प्रार्थी के दादा जयसिंह उर्फ जहार के दादालायी होने के कारण नोशनल शेयर है। जिसमें मिन प्रार्थी का बाई बर्थ हक वो अधिकार है। सजरा पक्षकार निम्न प्रकार है।
5. यह है कि उक्त विवादित आराजी जो अप्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज हिस्से में से मिन प्रार्थी का हिस्सा कानूनन दादालायी आराजी में स्थित है। जिसे मिन प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। जिस आराजी में मिन प्रार्थी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार बाई बर्थ अधिकार रक्षित है।
6. यह है कि उक्त आराजी मिन प्रार्थी की दादालायी की आराजी है, जिस पर मिन प्रार्थी को बाई बर्थ हक वो अधिकार हांसिल है। मिन प्रार्थी का पिता बुजुर्ग व्यक्ति है जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है जो अपने अन्य लडको अप्रार्थी सं० 2 व 3 के बहकावे में है जो दादालायी आराजी का बेचान करने पर उतारू हो रहा है जबकि मिन प्रार्थी के पास उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी नहीं है। अप्रार्थी सं० 1 अपने अन्य लडको के बहकावे में है इसलिये अप्रार्थी सं० 1 ने आपस में साज बाज होकर दिनांक 15/08/2025 को मिन प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि विवादित आराजी का राजस्व रिकोर्ड मेरे नाम दर्ज है, मैं उक्त आराजी का बेचान करके रहूंगा जबकि अप्रार्थी सं० 1 को ऐसा करने का कोई हक वो अधिकार नहीं है। मिन प्रार्थी के अधिकार कानूनन सुरक्षित है। अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रार्थना पत्र इश्तकरारहक मय हु० ई० दवामी पेश करना आवश्यक आया है।
7. यह है कि अप्रार्थी सं० 1 दिगर लोगो के बहकावे में है जो दादालायी आराजी का बेचान करने पर उतारू हो रहा है अगर अप्रार्थी सं० 1 अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गया औरउक्त दादालायी आराजी का बेचान कर दिया तो मिन प्रार्थी को अजहद क्षति होगी मिन प्रार्थी का जीवन बर्बाद हो जायेगा। जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है, तथा दीगर मुकदमें बाजी में फसंना पडेगा जबकि मिन प्रार्थी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है, जिनकी रक्षार्थ हेतू प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।
8. यह है कि प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 15/08/2025 को मिन प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि विवादित आराजी का राजस्व रिकोर्ड मेरे नाम दर्ज है, मैं उक्त आराजी का बेचान करके रहूंगा बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।
9. यह है कि उक्त विवादित आराजी में मिन प्रार्थी के अधिकार कानूनन सुरक्षित है, तथा बैलेन्स ऑफ कन्वीनेंश और सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी के पक्ष में है। अगर अप्रार्थी सं० 1 अपने नापाक इरादो मे कामयाब हो गया तो मिन प्रार्थी को अजहद क्षति होगी जिसकी भरपाई करना रूपयों पैसो में आंकना नामुमकिन है। इसलिये मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

10. यह है कि उक्त विवादित आराजी वाके ग्राम माजरीखोला, छापुर व पदमाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो श्रीमान अदालत के क्षेत्राधिकार में है, सुनने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा हु० ई० दवामी से पाबंद किया जावे कि आराजी ख० नं० हाल 260/0.40 है0, 73/0.01 है0, 74/0.12 है0, 68/0.57 है0, वाके ग्राम पदमाडा कलां तहसील मुण्डावर व ख0 नं0 23/0.59 है0, 567/0.04 है0, 568/0.04 है0, 569/0.08 है0, 572/0.01 है0, 110/0.11 है0, 111/0.10 है0, 8/0.16 है0, 9/0.13 है0, वाके ग्राम माजरीखोला तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है को अप्रार्थीगण कहीं दीगर जगह रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, तथा मिन प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा ना करे, ना प्रार्थी को बेदखल करे, राजस्व रिकोर्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पाबंद किया जावे। हल्फनामा संलग्न है।

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण स० 1,2 व 3 की ओर से निम्न पेश है।

1. यह है कि पैरा सं0 1 इतना स्वीकार है कि उपरोक्त अनुवानी वाद मय प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान में विचाराधीन है। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण को कामयाबी की कोई आशा नही रखनी चाहीए।
2. यह है कि पैरा स0 2 गलत है, स्वीकार ही है। प्रार्थीगण ने नाकाबिल दस्तावेज व झुठा शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीगण का केस प्रायमा फैसाई आयद वो साबित नहीं है। काबिल खारीज है।
3. यह है कि पैरा स0 3 जिस कदर बयान किया गया है स्वीकार है लेकिन आराजी किसी भी रूप में विवादित नही है।
4. यह है कि पैरा स० 4 जिस कदर बयान किया गया है। कतई गलत है स्वीकार नही वाद पत्र के पैरा स0 4 में दर्ज आराजी में ख0न0 110 ख0 न0 111 व ख0 न0 23 वाके ग्राम माजरीखोला व आराजी ख0 न0 68 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम पदमाडा कलॉ अप्रार्थी स0 1 की तन्हा खरीदशुद्वा आराजी है जिसमें प्रार्थी व अन्य किसी का कोई बाई बर्थ अधिकार नही है ना ही प्रार्थी का कोई नोशनल शेयर बनाता है सजरा प्रार्थी ने गलत पेश किया है मिन अप्रार्थी स0 1 के एक लडकिया है जिनका नाम सजरे में शामिल नहीं है व ना ही वाद में पक्षकार है मिन अप्रार्थी स० 1 की लडकी व प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 व 3 की बहन का नाम रामरजा है जो जीवित है।
5. यह है कि पैरा स० 5 गलत है स्वीकार नही है अप्रार्थी स० 1 की स्वयं अर्जित सम्पत्ती में प्रार्थी का कोई अधिकार नहीं बनता है कानून का गलत हवाला जिम्मन हाज में दिया गया है।
6. यह है कि पैरा स० 6 गलत है स्वीकार नहीं है मिन अप्रार्थी स० 1 को अपनी स्वअर्जीत आराजी का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है प्रार्थी का मिन अप्रार्थी की स्वअर्जीत सम्पत्ती में कोई

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०) मण्डावर (खैरथल-तिजारा)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी अपने अधिकारो के नाम पर अप्रार्थी स० 1 के अधिकारो का हनन करना चाहता है। जिसे इसका कोई अधिकार नहीं है।

7. यह है कि पैरा स० 7 गलत है स्वीकार नही मिन अप्रार्थी स० 1 अपनी स्वअर्जीत आराजी का हर प्रकार से उपयोग करने हेतू कानून स्वतन्त्र है।
8. यह है कि पैरा स० 8 गलत है स्वीकार नही है अप्रार्थी स० 1 अपनी स्वअर्जीत सम्पत्ती के बेचान करने का अधिकार रखता है इसलिए प्रार्थी को धमकी देने की कोई बात ही नही है वादी वक्त खरीद से ही अपनी आराजी को बेचने हेतू स्वतन्त्र है। इसलिए दिनांक 15/8/2025 की कहानी स्वतः ही मिथ्या हो जाती है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी बेरून मियाद है।
9. यह है कि पैरा स० 9 गलत है स्वीकार नही है ना ही प्रार्थी का केस प्रथम दृष्ट्या साबित है। प्रार्थी के हक में कोई बलेन्स आफॅ कन्वीनेंश व सुविधा का संतुलन साबित नही होता है। बल्कि अप्रार्थी स० 1 के अधिकारो का ही हनन हो रहा है।

जायद

1. यह है कि प्रार्थी ने अपनी बहन को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया जो प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है इसलिए प्रार्थना पत्र पक्षकारो के संयोजन के कारण काबिल खारिज है।
2. यह है कि आराजी ख०न 68 रकबा 0.57 हैक० वाके ग्राम पदमाडा कलॉ व आराजी ख0न0 110 रकबा 0.11 है0, 111 रकबा 0.10 है0, 23 रकबा 0.59 है0 वाके ग्राम माजरी खोला तह० मुण्डावर में स्थित जो मिन अप्रार्थी स० 1 की खरीदशुद्वा स्वअर्जीत सम्पत्ती है जिसमें प्रार्थी का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए भी वाद वादी काबिल खारिज है।
3. यह है कि प्रार्थी शुद्ध हस्त होकर अदालत श्रीमान में उपस्थित नही आया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

अतः श्रीमान के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमान की महति कृपा होगी।

प्रार्थी की ओर से बहस

प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बहस प्रस्तुत की जाती है कि प्रस्तुत वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पूर्णतः न्यायोचित, विधिसम्मत एवं स्वीकार योग्य है।

यह कि विवादित आराजियाँ प्रार्थी की दादालायी पैतृक आराजियाँ हैं, जो राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी का उक्त आराजियों में जन्मसिद्ध अधिकार (बाई बर्थ) है, जिसे किसी भी दशा में समाप्त नहीं किया जा सकता।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

यह कि केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना सम्पूर्ण स्वामित्व का प्रमाण नहीं होता। राजस्व रिकॉर्ड केवल प्रबंधन हेतु होता है, जबकि उत्तराधिकार का निर्धारण विधि द्वारा होता है। अतः अप्रार्थी सं० 1 का यह कथन कि आराजी स्व–अर्जित है, केवल कथन मात्र है, जिसका कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के संशोधन के पश्चात् पुत्र को पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थी का अधिकार कानून द्वारा संरक्षित है, जिसे समाप्त करने का कोई अधिकार अप्रार्थी सं० 1 को प्राप्त नहीं है।

यह कि अप्रार्थी सं० 1 द्वारा दिनांक 15.08.2025 को प्रार्थी को विवादित आराजी के बेचान की स्पष्ट धमकी दी गई, जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर सीधा खतरा उत्पन्न हुआ। यही कारण है कि प्रार्थी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

यह कि यदि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है और अप्रार्थी सं० 1 विवादित आराजी का बेचान कर देता है, तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति धन से संभव नहीं है, तथा प्रार्थी को अनावश्यक दीवानी व राजस्व मुकदमेबाजी में फँसना पड़ेगा।

यह कि सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience) पूर्णतः प्रार्थी के पक्ष में है, क्योंकि निषेधाज्ञा से अप्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी, जबकि प्रार्थी के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

यह कि आवश्यक पक्षकार के संबंध में अप्रार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति निराधार है, क्योंकि वर्तमान प्रार्थना पत्र केवल अस्थायी संरक्षण हेतु है, न कि अंतिम अधिकार निर्धारण हेतु। आवश्यक पक्षकार का प्रश्न अंतिम सुनवाई के समय देखा जा सकता है।

यह कि वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie Case) पूर्णतः सिद्ध होता है तथा न्याय के हित में विवादित आराजियों की यथास्थिति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष
अतः श्रीमान न्यायालय से सादर निवेदन है कि न्यायहित, समता एवं सुविधा के सिद्धांतों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को विवादित आराजियों के बेचान, हस्तांतरण अथवा प्रार्थी के कब्जे में बाधा उत्पन्न करने से अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित किया जावे।
श्रीमान की महती कृपा होगी।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–बिजयनगर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण की ओर से बहस

अप्रार्थीगण सं० 1, 2 व 3 की ओर से यह बहस प्रस्तुत की जाती है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र तथ्यात्मक, विधिक एवं न्यायसंगत आधार से पूर्णतः शून्य है तथा खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया कोई अधिकार सिद्ध नहीं होता है। जिन आराजियों को प्रार्थी दादालायी पैतृक बता रहा है, उनमें से ख० नं० 68 रकबा 0.57 है० ग्राम पदमाडा कलां तथा ख० नं० 110, 111 एवं 23 ग्राम माजरी खोला स्थित आराजियाँ अप्रार्थी सं० 1 की खरीदशुदा स्व–अर्जित सम्पत्ति हैं, जिसमें प्रार्थी का कोई जन्मसिद्ध अथवा अन्य अधिकार नहीं बनता।

यह कि केवल राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होना पैतृक सम्पत्ति का प्रमाण नहीं होता। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त आराजियाँ पैतृक हैं। अतः प्रार्थी का कथन मात्र अनुमान एवं भ्रांति पर आधारित है।

यह कि अप्रार्थी सं० 1 को अपनी स्व–अर्जित सम्पत्ति के उपयोग, उपभोग एवं बेचान का पूर्ण वैधानिक अधिकार है। विधि द्वारा प्रदत्त इस अधिकार को केवल आशंका अथवा अनुमान के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।

यह कि प्रार्थी द्वारा कथित दिनांक 15.08.2025 की धमकी पूर्णतः मनगढ़ंत एवं असत्य है। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में कोई स्वतंत्र, विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र का आधार ही मिथ्या है।

यह कि प्रार्थी का Balance of Convenience उसके पक्ष में नहीं होकर अपितु अप्रार्थी सं० 1 के पक्ष में है, क्योंकि यदि निषेधाज्ञा दी जाती है तो अप्रार्थी को अपनी स्वयं अर्जित सम्पत्ति के वैधानिक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा।

यह कि प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि यदि भविष्य में प्रार्थी का कोई अधिकार सिद्ध होता है, तो विधि में उसके लिए पर्याप्त उपचार उपलब्ध हैं।

यह कि प्रार्थी ने अपनी बहन, जो कि कथित पैतृक सम्पत्ति में सह–उत्तराधिकारी है, को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद प्रथम दृष्टया ही अस्वीकार्य एवं काबिल खारिज है।

यह कि प्रार्थी शुद्ध हस्त होकर न्यायालय में नहीं आया है तथा तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसे प्रार्थी को किसी भी प्रकार की न्यायिक सहायता प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

निष्कर्ष

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक आधारों के आलोक में श्रीमान न्यायालय से सादर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र निराधार, अस्वीकार्य एवं कानून के विपरीत होने से खारिज किया जावे तथा अप्रार्थीगण को अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी में घसीटने हेतु प्रार्थी पर हर्जा–खर्चा आरोपित किया जावे।

विवेचना

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि विवादित आराजियों के संबंध में यह प्रश्न कि वे पैतृक हैं अथवा स्व–अर्जित, विवादित तथ्य है, जिसका अंतिम निस्तारण केवल साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है। वर्तमान अवस्था में यह न्यायालय किसी भी पक्ष के अधिकार का अंतिम निर्धारण नहीं कर सकता।

अप्रार्थी सं० 1 द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि ख० नं० 68 रकबा 0.57 है० ग्राम पदमाडा कलां तथा ख० नं० 110, 111 व 23 ग्राम माजरी खोला स्थित आराजियाँ उसकी स्वयं अर्जित खरीदशुदा सम्पत्ति हैं। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध हो सके कि उक्त आराजियाँ दादालायी पैतृक सम्पत्ति हैं।

इसके अतिरिक्त, यह भी तथ्य सामने आया है कि प्रार्थी की बहन, जो कि कथित पैतृक सम्पत्ति में सह–उत्तराधिकारी हो सकती है, को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो कि आवश्यक पक्षकार है। आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद प्रथम दृष्टया ही दोषपूर्ण प्रतीत होता है।

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु प्रार्थी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि–

उसका प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie Case) है,

सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience) उसके पक्ष में है, तथा

उसे अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss) होने की संभावना है।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी उपरोक्त तीनों शर्तों को संतोषजनक रूप से सिद्ध करने में असफल रहा है। इसके विपरीत, अप्रार्थी सं० 1 को अपनी स्व–अर्जित सम्पत्ति के उपयोग व उपभोग का वैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिसे केवल अनुमान व आशंका के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुख्यालय (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

फलस्वरूप, प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त (खारिज) किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन) सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner